



VISION IAS

www.visionias.in



GENERAL STUDIES (TEST CODE : 1839)

Name of Candidate	Sukh Ram		
Medium Eng./Hindi	Hindi	Registration Number	370763
Center	Jaipur	Date	06/09/2022

INDEX TABLE		
Q. No.	Maximum Marks	Marks Obtained
1	10	
2	10	
3	10	
4	10	
5	10	
6	10	
7	10	
8	10	
9	10	
10	10	
11	15	
12	15	
13	15	
14	15	
15	15	
16	15	
17	15	
18	15	
19	15	
20	15	

Total Marks Obtained:

Remarks:

INSTRUCTIONS

- Do furnish the appropriate details in the answer sheet (viz. Name, Registration Number and Test Code).
उत्तर पुस्तिका में सूचनाएं भरना आवश्यक है (नाम, प्रश्न-पत्र कोड, विद्यार्थी क्रमांक आदि)।
- There are **TWENTY** questions printed in **ENGLISH & HINDI** इसमें बीस प्रश्न हैं अंग्रेजी और हिन्दी में छपे हैं।
- All questions are compulsory.**
सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
- The number of marks carried by a question/part is indicated against it.
प्रत्येक प्रश्न/भाग के अंक उसके सामने दिए गए हैं।
- Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate, which must be stated clearly on the cover of this Question-Cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in medium other than the authorized one.
प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए जिसका उल्लेख आपके प्रवेश पत्र में किया गया है और उस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यूसीए) पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अंकित निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिए गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।
- Word limit in questions, if specified, should be adhered to.
प्रश्नों में शब्द सीमा, जहाँ विनिर्दिष्ट है, का अनुसरण किया जाना चाहिए।
- Any page or portion of the page left blank in the Question-Cum-Answer Booklet must be clearly struck off.
उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़ा हुआ पृष्ठ या उसके अंश को स्पष्ट रूप से काटा जाना चाहिए।

16-B, 2nd Floor, Above National Trust Building, Bada Bazar Marg, Old Rajinder Nagar, Delhi-110060

Plot No. 857, 1st Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar
Delhi- 110009

EVALUATION INDICATORS

1. Contextual Competence
2. Content Competence
3. Language Competence
4. Introduction Competence
5. Structure - Presentation Competence
6. Conclusion Competence

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VisionIAS

1. An independent umbrella body that brings the various central investigative agencies under one roof holds the key to shoring up their credibility. Discuss. (150 words) 10

एक स्वतंत्र अम्ब्रेला निकाय जो विभिन्न केंद्रीय जांच एजेंसियों को एक छत के नीचे लाता हो, उनकी विश्वमनीयता को बढ़ाने की कुंजी है। विवेचना कीजिए।

भारत में विभिन्न केंद्रीय मामलों के
अन्वेषण के लिये केंद्रीय जांच एजेंसियाँ - भ्रष्टाचार,
अपराध, आर्थिक अपराध, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि मुद्दों
का अन्वेषण करती हैं।

केंद्रीय जांच एजेंसियाँ

- (i) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
- (ii) प्रवर्तन निदेशालय (ED) - राजस्व विभाग
- (iii) नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB)
- (iv) राष्ट्रीय अन्वेषण एजेंसी (NIA) - गृह मंत्रालय

उनकी स्थिति.

- a. पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव
- b. पिंजरे में बंद होते हैं राजा - मन्त्रीय कमीशन बोर्ड
(CBI)
- c. कार्यप्रणाली में समन्वय का अभाव
- d. राजनीतिक हस्तक्षेप।

स्वतंत्र सम्प्रदाय निकाय : केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियाँ

- (i) सभी एजेंसियों में बेहतर समन्वय होगा।
- (ii) कार्य प्रणाली में एकता आएगी।
- (iii) राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा।
- (iv) पर्याप्त स्वायत्तता से विश्वनीयता बढ़ेगी।
- (v) राज्य-केन्द्र विवाद - CBI - यामा-यक्षमति को लेकर कम होंगे।
- (vi) राज्य भी अन्वेषण एजेंसियों की सहायता करेंगे।
- (vii) भ्रष्टाचार, अपराध की प्रभावी इन्वेस्टीगेशन होगी।
- (viii) नेता-अपराधी-पुलिस गंजोड़ को भी उजागर करने में केन्द्रीय अन्वेषण एजेंसियाँ सहायक होंगी।

नोट: एक स्वतंत्र सम्प्रदाय निकाय निरूपण एजेंसियों की स्वायत्तता, विश्वनीयता, प्रतिष्ठा को बढ़ाने में सहायक हो सकता है।

2. Discuss the significance of the Doctrines of Pith and Substance and Colourable Legislation with respect to Centre-state relations in India.

(150 words) 10

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में तत्व एवं सार के सिद्धांत और छद्म (आभासी) विधायन के सिद्धांत के महत्व की विवेचना कीजिए।

भारतीय संविधान सहकारी संघवाद की

भावना को प्रमोट करना है जिसके लिए अनुच्छेद 246 में शक्तियों का विभाजन (विधायन के संबंध में) किया गया है। संघ सूची पर संघ, राज्य सूची पर राज्य विधायिका कानून बनाती है।

तत्व एवं सार के सिद्धांत : केंद्र-राज्य संबंध

इस सिद्धांत के अनुसार केंद्र द्वारा राज्य सूची के विषय पर विधान निर्मित किया जा सकता है एवं यह अल्पकालिक ही होगा अर्थात् राज्य भी विधायन शक्ति बरकरार रखेगी। राज्य सूची के विषयों पर अन्तर्देशीय शक्तियों के क्रियान्वयन, राष्ट्रपति शासन, आपातकाल व राज्यों के अनुच्छेद पर संसद कानून बनाती है।

द्वितीय विद्यार्थन : संबंध

इसमें केन्द्र अपत्यस रूप से राज्यसूची के विषयों पर कार्य करता है। अन्तर्राज्यीय नदियाँ व नदी धारि संबंध सूची के विषयों वही मूल राज्य सूची का निम्न में केन्द्र ने मूल संबंधी कार्य भी करता है।

राज्यों का आक्षेप

- (i) केन्द्र इन सिद्धांतों के अन्तर्गत में नेशन बिलिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा व आर्थिक विकास के नाम पर राज्य की शक्ति पर अतिक्रमण करती है।
 - (ii) समवर्ती सूची संबंधी विद्यार्थन में राज्यों के परामर्श नहीं की जाती।
 - (iii) केन्द्र राज्य सूची के विषयों पर बने कानूनों को राज्यों पर थोपती है एवं सरकारी संघवास के कानून करती है।
- कतः सरकार पेटलेने के विद्यार्थन समा में कहा था कि केन्द्र-राज्य विवादों होंगे ही उन्हें सरकारी संघवास की भावना से दुरुलक्षित पाएँ।

3. Do you agree with the view that there should be simultaneous elections to the Lok Sabha and the State Legislative Assemblies in India? Discuss with suitable arguments. (150 words) 10

क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि भारत में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचन एक साथ होने चाहिए? उपयुक्त तर्कों के साथ चर्चा कीजिए।

भारत में 1967 तक लोकसभा व राज्य सभा के निर्वाचन एक साथ होते थे वहीं अब नहीं। एक साथ निर्वाचन से तात्पर्य एक मतदाता एक ही समय लोकसभा व राज्य विधानसभा के उम्मीदवार से मत डाल सके।

भारत में एक साथ चुनाव

पक्ष में तर्क

(i) इसके समय व धन की बचत ही प्राप्त होती है।

(ADR Report - 11th LS - 100 करोड़ ₹ व्यय प्रति निर्वाचन क्षेत्र)

(ii) इसके विकास कार्य बाधित नहीं होते।

अन्वय संसदीय कारण कार्य बाधित होते हैं।
(नीति आयोग - स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया @ 75)

(iii) इसके सैन्य बलों व दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा सकेगा।

(iv) बार-बार चुनाव से जाति-धर्म - सांप्रदायिकता
बढ़ती है जिसका निवारण हो सकेगा।

(v) राजनेता विधि निर्माण में पर्याप्त ध्यान दे
सकेंगे।

(vi) राष्ट्रीय सुरक्षा सभी बल मिलेगा।

लेकिन कई चुनौतियाँ -

a. कुछ राज्यों का विशेष व छिन राज्यों का
विधानसभा का कार्यकाल घेरा किया जाये।

b. इससे क्षेत्रीय स्तरों व क्षेत्रीय मुद्दों को
उभयान होगा।

c. एक साथ व्यापक प्रशासनिक मशीनरी की
आवश्यकता।

कतः दो चरणों में एक साथ लोकतन्त्र व
अधे राज्यों तथा दो चरण में अधे राज्यों का
निर्वाचन कराया जा सकता है जिसे अधिक
निष्पक्षता, स्वतंत्रता, पक्षता दायगी।

4. Discuss the need for codification of parliamentary privileges in India, in light of the uncertainty and ambiguity around them. (150 words) 10

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में अनिश्चितता और अस्पष्टता के आलोक में, उनके संहिताकरण की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।

भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों
के का उल्लेख अनुच्छेद - 105 में किया गया
है।

भारत में संसदीय विशेषाधिकारों की स्थिति -

- (i) कोई एकीकृत कानूनी प्रावधान नहीं
- (ii) संसदीय परम्पराओं, न्यायिक निर्णयों पर
आधारित।
- (iii) कुछ मिन-2 संसदीय विचारों में उल्लेखित
- (iv) "संसदीय विशेषाधिकारों" को कहीं भी
परिभाषित नहीं किया गया है।
- (v) संसदीय विशेषाधिकारों की अस्पष्टता तथा
उनके उल्लंघन पर स्वेच्छाचारी निर्णय
- (vi) संसदीय विशेषाधिकारों का दुरुपयोग।

संसदीय विशेषाधिकारों के संरक्षण की
आवश्यकता: -

- (a) इससे संसदीय विशेषाधिकारों की सुरक्षा हो सकेगी।
- (b) संसदीय प्रणाली को बर्बाद न हो सकेगा।
- (c) संसदीय प्रणाली के दुरुपयोग की संभावना को रोक जा सकेगा।
- (d) संसदीय कार्यवाही को अधिक दक्ष, कुशल बनाया जा सकेगा।
- (e) संसदीय विशेषाधिकारों व कर्तव्यों की रक्षा हो सकेगी।

अतः संसदीय कानून से संसदीय विशेषाधिकारों का संरक्षण किया जाना चाहिए ताकि संसदीय प्रणाली को और मजबूत किया जा सके।

5. While the Civil Services Board can be a step forward in making the Indian bureaucracy more effective, it has its own issues which need to be addressed. Analyse. (150 words) 10

हालांकि, सिविल सेवा बोर्ड भारतीय नौकरशाही को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक अग्रणी कदम हो सकता है, लेकिन इसके अपने मुद्दे हैं जिन्हें हल करने की आवश्यकता है। विश्लेषण कीजिए।

भारत में संविधान के अनुच्छेद 312

के अनुसार प्रशासन के लिए 'कविल भारतीय सेवा' का प्रावधान है जिसे 'स्टील फ्रेम' की संज्ञा दी जाती है।

→ सिविल सेवा बोर्ड - नौकरशाही पर प्रभाव

- (i) इससे नौकरशाही पर राजनीतिक हस्तक्षेप को कम किया जा सकता है (2nd ARC)
- (ii) इससे नौकरशाही की दक्षता में सुधार हो सकता है (सुरेन्द्रनाथ समिति)
- (iii) इससे अनुचित स्थानांतरण व गैर महत्वपूर्ण पद पर नौकरशाही के स्थानांतरण को रोका जा सकता है (दोरा समिति)

च सिविल सेवा बोर्ड से संबंधित मुद्दे -

- इसके सदस्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता आधारित नियुक्ति।
- पर्याप्त स्वायत्तता का अभाव
- सदस्यों में नौकरशाह विशेष के प्रति स्वतंत्रता
- पर्याप्त जनकारी के अभाव में केवल ACR के आधार पर निर्णय।

इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए

- इसकी स्वायत्तता पर बल, राजनीतिक आधार पर सदस्यों की नियुक्ति पर योकव पर्याप्त जनकारी तथा उर दक्षता बढ़ायी जानी चाहिए।

अतः सिविल सेवा बोर्ड को महत्वपूर्ण

आधिकार, स्वायत्तता प्राप्त का इसका उपयोग किया जाना चाहिए।

6. Highlight the potential of India Digital Ecosystem Architecture (IndEA) 2.0 in transforming the ecosystem of service delivery in India. (150 words) 10
भारत में सेवा वितरण के पारितंत्र को रूपांतरित करने में इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता पर प्रकाश डालिए।

भारत में सेवा वितरण प्रणाली में सरकार द्वारा नागरिकों को अनकल्याण के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ समाहित हैं।

→ भारत में सेवा वितरण पारितंत्र : स्थिति

- (i) सेवाओं की दृष्टान्तपूर्ण आपूर्ति का अभाव
(ii) सेवा वितरण पारितंत्र में शुष्कचार, लीडेज
(iii) सेवा वितरण में देरी, अकर्मण्यता आदि।

→ इण्डिया डिजिटल इकोसिस्टम आर्किटेक्चर (IndEA) 2.0 की क्षमता -

- (a) यह सेवा वितरण पारितंत्र को पूर्णतः डिजिटलीकरण करने पर बल देगा है जो शुष्कचार, लीडेज को कम करेगा।

- (b) यह सेवा वितरण परिवंत्र में वस्तुओं व सेवाओं व नियो-टेजिंग को दक्षतापूर्ण लागू करने का प्रयास करना है
- (c) सेवा वितरण परिवंत्र में ब्लॉकचेन व परिचल रोबोटिक्स को शामिल कर संपूर्ण सेवा-वितरण प्रणाली को सूचीबद्ध करने का प्रावधान करना है
- (d) यह डिजिटली फ्रॉन्ट डिटेक्शन इकोसिस्टम को भी अडॉप्ट करता है जो शून्यचार पर लगाम लगायेगा।
- (e) इसमें जवाबदेही के e-मोड पर विशेष कर दिया गया है
- अतः लौकतांगिक अभिवृद्धि के लिए प्रभावी सेवा वितरण में IndEA 2.0 अंतिकारी कर्म साक्षि व लक्ष्य है

7. What is Civil Registration System? Highlight its importance and discuss the measures taken by the government to bring about improvements in it.

(150 words) 10

नागरिक पंजीकरण प्रणाली क्या है? इसके महत्व पर प्रकाश डालिए और इसमें सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए।

'नागरिक पंजीकरण प्रणाली' भारतीय जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, रोजगार, उद्यम आदि के साथ जन्म, मृत्यु आदि का विवरण प्रदान करने प्रणाली है।

नागरिक पंजीकरण प्रणाली: महत्व

- (i) दक्षतापूर्ण नीतियों व क्रियान्वयन - सरकार उपयुक्त उपायों की सहायता से नीतियों की गुणवत्ता को दृढ़ बना सकती है।
- (ii) लक्षित योजनाओं व लाभाधिक्यों तक पहुँच में वृद्धि होती है।
- (iii) स्वास्थ्य संबंधी रोगों के निदान के लिए विशेष सेंट्रीलाइज्ड रिसर्च को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ii) व्यवसाय, जन्म-मृत्यु संबंधी आय से
भारत की वस्तुस्थिति की जानकारी मिल
सकती है।

इसमें कुछाहें के लिए सरकार के प्रयास

- (a) सरकार ने इस प्रणाली को डिजिटल
किया है।
- (b) बायोमेट्रिक डेटा संकलन पर भी कल
दिया जा रहा है।
- (c) इसे और अधिक व्यापक व दक्ष बनाने
के लिए कॉन्कचन प्रौद्योगिकी के शामिल
किये जाने के प्रयास (NITA आयोग)
- (d) प्राथमिकता प्राप्त कर्मियों की सहायता के
आमलास नागटि पंजीकरण प्रणाली पर
कल।
अतः लक्षित विकास व समकेशी विकास
की दिशा में नागटि पंजीकरण प्रणाली की दक्षता महत्वपूर्ण है।

8. The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013, provides an effective mechanism for empowerment of the intended beneficiaries in the society. Critically discuss. (150 words) 10
- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 समाज में इच्छित लाभार्थियों के सशक्तीकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। समालोचनात्मक चर्चा कीजिए।

'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' के अनुसार

भारत में 2000-2020 तक लगभग 2253 लोगों की मृत्यु हाथ से मैला उठाने व सीवेज सफाई में हुई है।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा : 2013 तक

- (i) इसके सामाजिक स्तर पर जागरूकता आई थी
- (ii) NCRB की 2022 की रिपोर्ट - हाथ से मैला उठाने की प्रथा में 2017-19 तक में 9% की कमी आई थी
- (iii) स्वच्छ भारत मिशन पर जारी रिपोर्ट के अनुसार सफाई कर्मियों को विशेष किरा (ऑक्सीजन, यंत्र) प्रदान की जाने लगी थी
- (iv) सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव तथा शैली

आवासन तथा सामाजिक न्याय मंत्रालय के अनुसार 'कर्मियों' को पुनर्वास प्रदान किया गया है।

लेकिन इस कानून से सफलता संदिग्ध भी है।

- (a) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग प्रतिवर्ष 100 के अधिक कर्मियों से कृप्य हो जाती है।
- (b) मैला उठाने वालों को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती।
- (c) पुनर्वास से प्रक्रिया बेहद धीमी है।
- (d) लाभार्थियों से पहचान से जुड़े कई मुद्दे।
- (e) प्रशासनिक सक्रियता व सतर्कता का अभाव।

अतः इस कानून में पर्याप्त सुधार व सुदक्षतापूर्ण क्रियान्वयन से मानवीय गरिमा व SDG-6 को प्राप्त करने से विश्व में प्रपासि
किया जाना चाहिए।

9. Discuss the reforms that must be undertaken to strengthen the World Trade Organisation in order to address the vulnerabilities in the present global trading system. (150 words) 10

वर्तमान वैश्विक व्यापार प्रणाली में विद्यमान कमियों को दूर करने के लिए विश्व व्यापार संगठन को सुदृढ़ करने हेतु उस पर किए जाने वाले सुधारों की विवेचना कीजिए।

विश्व व्यापार संगठन पूर्व के GATT का उत्तराधिकारी है तथा उसके दोर की वार्ता के बाद 1995 में WTO की स्थापना की गई जिसमें भारत संस्थापक सदस्य है।

विश्व व्यापार संगठन के कार्य

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रमोट करना
- (ii) व्यापार में ट्रेड बैरियर, नॉन टैक्नीकल ट्रेड बैरियर को दूर करना।

→ WTO की अक्षमता: वैश्विक व्यापार प्रणाली में कमियाँ

- a. चीन - USA का ट्रेड वार
- b. इसकी डिस्पूट सेटलमेंट बॉडी व अपीलीय निकाय सिद्धिय।
- c. पक्षपानीय नीतियाँ जो व्यापार विपलन पैदा करती है

क) WTO के सुदृढ़ करने के लिए उपाय

- (i) इसकी स्वायत्तता को शब्द प्रकट करें
 दृ. USA का डोमिनैंस।
- (ii) विवाद निपटान निकाय व द्वितीय तहरीर
 में सदस्यों की त्वरित नियुक्ति।
 (पिछले तीन वर्ष से खाली)
- (iii) इसके निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए
शब्दों के सहयोग अनिवार्य हैं।
- (iv) इसकी कार्य प्रणाली व मशीनरी के लिए
 पर्याप्त वित्तीय सहायता।
- (v) इसकी निष्पक्षता के लिए न्यू चार्टर अडॉप्ट
 किया जा सकता है
 अतः WTO को प्राथमिक बनये रखने के
 लिए सदस्य देशों को प्रति सक्रिय श्रमिक
 निगम - चाहे।

10. State the significance of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Also, discuss the need for a legally binding Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction (BBNJ) agreement.

(150 words) 10

संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) के महत्व का उल्लेख कीजिए। साथ ही, कानूनी रूप से बाध्यकारी राष्ट्रीय अधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता (BBNJ) समझौते की आवश्यकता पर चर्चा कीजिए।


संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS)

समुद्री क्षेत्र में राष्ट्रों के अधिकार व दायित्वों को परिभाषित करने वाली संधि है। भारत ने इसे 1982 में अंगूठ किया।

UNCLOS : महत्व

(i) आधार रखने से समुद्री क्षेत्र की घरेलू

सीमा का निर्धारण करती है।



(ii) यह सामुद्रिक खनन के लिए अधिकार देती

है - इंटरनेशनल ली के अधीन -

भारत को हिन्द महासागर में पॉली मेटाब्रिक नॉड्यूल के लिए अधिकार दे।

(iii) यह सामुद्रिक विवादों के भी निपटती है।

जैसे चीन - गुडेश लास पर 2016 में निर्णय

क) समुद्री जैव विविधता सम्झौते की आवश्यकता

- (i) सामुद्रिक (High Sea) के जीवों की रक्षा के लिए।
 - (ii) सामुद्रिक क्षेत्रों में अतिमत्स्थान की विनियमित कले के लिए।
 - (iii) उच्च समुद्र में राष्ट्रों के मध्य विवादों के निपटारे के लिए।
 - (iv) UN CBD व UNCTD की कन्वेंशन के साथ सुसंगतता के लिए।
 - (v) जैव विविधता के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए।
- अतः UNCLOS व समुद्री जैव विविधता सम्झौते पर बल देकर अन्तरराष्ट्रीय शांति के प्रयास किये जाने चाहिए।

11. Critically assess the role played by the National Human Rights Commission as a watchdog of human rights violations in India. (250 words) 15

भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

मानवाधिकारों से तात्पर्य समाज द्वारा

स्वीकृत व विधि द्वारा अनुमोदित नागरिकों के हकों से ही मानवाधिकार प्रत्येक मानव को मानव होने के नाते प्राप्त होते गए। 1946 में मानवाधिकारों पर 'सार्वभौमिक घोषणा' के प्रतिबद्धता के कारण NHRC का जन्म किया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग : स्थिति

↳ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधि. 1993

↳ एक वैधानिक निकाय

↳ सुप्रीम कोर्ट का जज व म.च. का कुल्ल
आयादीश इसका अध्यक्ष होता है

↳ मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा

हर प्रकार के उल्लंघन का शमन इसका भौतिक
है

मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रहरी के रूप में
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग -

- (i) यह बंधुका मजदूर, अवय, ज्यादातर व
बलात् धर्म से जुड़े मुद्दों पर निर्णय देता है
- (ii) यह मानवाधिकारों के प्रहरी के रूप में उनकी
रक्षा के लिए सरकार को रिपोर्ट करता है
- (iii) यह जेलों का अचानक निरीक्षण कर जेल
कैदियों की दृष्टि में सुधार के लिए विभिन्न
राज्य सरकारों को रिपोर्ट सौंपता है
- (iv) यह मानवीय गरिमा व अधिकारों को
न्यून करने वाले कृत्यों पर आरोपितों को
क्षम समन करता है
- (v) यह अपने दिविल कोर्ट की शक्ति का
प्रयोग मानवाधिकारों की रक्षा के लिए करता है
- (vi) यह निगरानी करके विभिन्न निकायों के कार्यस्थलों
का त्वारित निरीक्षण भी करता है

लेकिन NHRC मानवाधिकारों का सक्षम प्रहरी बनकर नहीं उभर सका है -

- (a) इसकी सिफारिशों पर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती।
- (b) इसकी सिफारिशें बाध्यकारी प्रकृति की नहीं होती।
- (c) इसके अध्यक्ष की नियुक्ति में अनावश्यक देरी की जाती है।
- (d) राजनीतिक दखलबाजी से इसकी स्वायत्तता घटित जाती है।
- (e) इसकी प्रशासनिक मशीनरी भी पर्याप्त नहीं है।

ऋतः मानवाधिकारों की रक्षा के लिए NHRC में पर्याप्त सुधार करके संबैधानिक नैतिकता को बढ़ावा दिये जाने का 'केन्द्र-राज्य-NHRC-SHRC' के स्तर पर प्रयास होना चाहिए।

12. Discuss how the integration of information and communications technology (ICT) in the dispute resolution processes will help in overcoming the challenges associated with the functioning of courts and Alternative Dispute Resolution (ADR) forums. (250 words) 15

विवेचना कीजिए कि विवाद समाधान प्रक्रियाओं में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का एकीकरण अदालतों एवं वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) मंचों के कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने में किस प्रकार सहायता करेगा।

वैकल्पिक विवाद प्रणाली से आशय न्याया

लय से बाहर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, सुलह,
लोक अदालती प्रक्रिया से विवादों का समाधान
करना है। भारत में नेशनल अरबिट्रल डेटा ग्रीड
के अनुसार 4.3 करोड़ मामले विचारधीन हैं।

अदालतों व वैकल्पिक विवाद निपटान मंचों में
सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी -

इन मंचों की चुनौतियाँ

- (i) डिजिटली का अभाव
- (ii) आरोपी व गवाह की एक साथ उपस्थिति
का अभाव

- (iii) पर्याप्त प्रशासनिक मशीनरी का अभाव
(iv) आवश्यक न्यायिक अवसरचना का अभाव।

के [इसके निवारण में ICT]

- (क) यह लोकअदालतों व ADR में न्यायिक अवसरचना को दुरुस्त कर सकता है।
- (ख) ICT से मीडियो कांफ्रेसिंग के आरोपी व गवाह से दूरता को भी दूर करती है।
- (ग) यह टेली जस्टिस की अवधारणा पर ध्यान देकर न्यायिक दायों को समाप्त कर सकता है।
- (घ) यह ब्लॉकचेन के माध्यम से न्यायिक रिकॉर्ड को बनाये रख सकता है।
- (ङ) कृत्रिम बुद्धिमत्ता से समान प्रकृति के मामलों का वर्गीकरण कर समय भी बचत व प्रशासनिक बोझ कम कर सकता है।

④ ICT से ADR व लोक अदालतों की
जवाबदेही बढ़ सकती है।

⑤ इसके दक्षतापूर्ण, त्वरित न्याय तथा
कागजी प्रणाली को दूर कर डिजिटल जजमेंट
को बल दिया जा सकेगा।

ICT प्रणाली में विद्यमान चुनौतियाँ

→ गोपनीयता, डेटा सुरक्षा, इंटरनेट तक
पहुँच, डिजिटल डिवाइड की समस्या

→ डिजिटल साक्षरता मात्र 43% (NITA कार्यो)

अतः मलिकाथ सामेति ने भी सिफारिश

की कि ADR व लोक अदालतों में ICT का
समावेशन इसकी दक्षता, कुशलता से सुधार करके
न्यायिक प्रणाली पर बोज कम कर भारतीय
प्रजातांत्रिक न्यायिक प्रणाली को सुदृढ़ किया
जा सकता है।

13. Despite various provisions concerning disqualification of legislators under The Representation of The People Act, 1951, the issue of criminalization of politics is still unresolved to a large extent in India. Discuss.

(250 words) 15

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत विधायकों की निरर्हता से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बावजूद, भारत में राजनीति के अपराधीकरण का मुद्दा अभी भी काफी हद तक अनसुलझा है। विवेचना कीजिए।

भारत में 'प्रेसिडेंशन ऑफ़ डेमोक्रेटिक

रिफॉर्म' (ADR) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार
17th लोकसभा में 43% सांसदों ~~के~~ अपराधिक
दृष्टिकोण से जिनमें से 29% पर अर्थात्
अपराध के मामले चल रहे हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम: 1951 निरर्हता

→ अपराधिक विधायकों पर निरसन

→ निरर्हता का निर्णय चुनाव आयोग की
सिफारिश के बाद राष्ट्रपति लगा।

→ सुप्रीम कोर्ट ने जिले घातकवाद में 2 साल
या अधिक की सजा वाले विधायकों से
त्वरित निरर्हता अयोग्य करार देने का निर्णय
दिया।

किर भी राजनीति का अपराधीकरण जारी है -

- (a) पार्टियों द्वारा धनबल व बाहुबल के आधार पर टिकट वितरण
- (b) केवल विनिंग फेक्टर पर बल
- (c) अपराधियों की समाज में स्वीकृति
- (d) राजनीतिक दलों में जवाबदेहिता का अभाव
- (e) अपराधीकरण का जेकेके लिए कारन का अभाव
- (f) पर्याप्त संवेदनशील, गंभीर सरकार का अभाव
- (h) न्यायिक प्रतिबद्धता के न्यायिक निर्णयों की क्रियान्वयन का अभाव।

इसका परिणाम

लोकसभा	अपराधीकरण
14th	24%
15th	30%
16th	34%
17th	43% (ADR Data)

अपराधीकरण को रोकने के लिए

- (i) प्रभावी कानूनों का क्रियान्वयन
- (ii) न्यायिक निकायों को लागू किया जाना
- (iii) मामलों के त्वरित निपटान के लिए
फास्ट ट्रेक कोर्ट का निर्माण (सुप्रीम कोर्ट निर्देश)
- (iv) राजनीतिक दलों के RTI में लाना।
- (v) नेताओं के लिए आचार संहिता नैतिक
संहिता
- (vi) मिथ्या शपथ पर निरर्हता को लागू करना
- (vii) भारतीय चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्तियाँ
देना।
- (viii) जनता को जागरूक कर अपराधियों को नकारना।
- (ix) अपराधीकरण का प्रवर्धन का प्रकाशन।

अतः लोकतंत्र को सुदृढ़, समतुल्य व
विश्वसनीय बनाने के लिए राजनीति के अपराधी-
करण को रोकना अत्यंत आवश्यक है।

14. It is time for reforms, which recognise that urban local bodies (ULBs) need permanent, buoyant revenue sources to match the growing demands of an increasing urban population. Discuss. (250 words) 15

यह सुधारों का समय है जो यह पहचान करता है कि शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बढ़ती शहरी आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए स्थायी, वृद्धिशील राजस्व स्रोतों की आवश्यकता है। विवेचना कीजिए।

भारत में स्थानीय स्वशासन पद्धति के लिए

74th संविधान संशोधन किया गया। गठित शहरी स्थानीय निकायों का उद्देश्य शहरी जनसंख्या का कल्याण, शहरी अवसंरचना का सुदृढीकरण व जन सुविधाएँ प्रदान करना था।

भारत में ULBs संकट।

- (i) भारत की 33% आबादी शहरी, UN अर्बन एजेंडा - 2030 तक 40% आबादी शहरों में लेगी।
 (ii) कराजक यातायात, जल आपूर्ति, सुगम बस्तियाँ
 (iii) शहरी सार्वजनिक सेवा वितरण में असमर्थता
विश्व बैंक - 25% शहरी आबादी स्वच्छ जल से वंचित है
 (iv) शहरी अवसंरचना का अभाव

व) शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत

(i) A-280 - केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध
अनुदान।

(ii) A-243I - राज्य वित्त आयोग गुंठ

(iii) राज्यों से उधार, म्युनिसिपल बॉण्ड।

(iv) संपत्तिक, शुल्क आदि के राजस्व

नौति आयोग - ULB के कुल राजस्व में भाग
43% राजस्व स्वयं का होता है

ULB - स्थायी कृषिशील राजस्व स्रोत

(i) उपलब्ध योजना में सुधार का उपलब्ध राजस्व
संग्रह का 2% ULB को प्रत्यक्ष हस्तांतरण है।

(ii) राज्य खनिज रॉयल्टी में निश्चित अंश ULB
को दे।

(iii) ULB को संपत्तिक व दूरले के लिए प्रेरित
किया जाये। OECD देखा - भारतीय ULB के

कुल राजस्व में वेलथ टैक्स का हिस्सा मात्र

0.15% है वहीं विकसित देशों में - 12-13%।

- (IV) ULB की कर संरचना में पर्याप्त सुधार तथा राज्य कर शक्तियाँ प्रदान करें।
 ६ शुल्क चार्जज बढ़ाने की कमाना
- (V) नौति आयोग २.० का गठन कर कमजोर ULB को सशक्त बनाया जाये।
- (VI) राज्य राज्य वित्त आयोगों को सम्पूर्ण गठन व अन्तिम दस्तावेज दें।
- (VII) स्केलेट्रियन डेवेलपमेंट मॉडल - जिसमें आय कर पूरा की निश्चित दरिया ULB को दिया जाता है।
 इसे लागू किया जाये।
- (VIII) अवसंरचनात्मक विकास के लिए ULB को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए राज्य सहयोग को।
 क्रम: ULB की वित्तीय स्थिति के मुद्दे को देखते के लिए द्वितीय स्तर के सुधार लाये जाये ताकि स्वशासन व जनकल्याण को प्रमोटे किया जा सके।

15. The role of the civil society organisations (CSOs) in India is changing in contemporary times and has become increasingly more complex. Discuss.

(250 words) 15

समकालीन समय में भारत में नागरिक समाज संगठनों (CSOs) की भूमिका बदल रही है और निरंतर अधिक जटिल होती जा रही है। चर्चा कीजिए।

गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार

भारत में लगभग 33 लाख नागरिक समाज संगठन हैं जिनमें से मात्र 10% CSO सरकार के नियमित रिपोर्ट करते हैं।

भारत में CSO का गठन भारतीय इष्ट आधिनियम, FCRA आदि के तहत किया जाता है।

CSO की बदलती भूमिका

- (1) इनकी प्रकृति में बदलाव - ये अब शिक्षा में उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ विकास को गति प्रदान कर रहे हैं।
- (2) सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता - भारत क्लियर ग्रुप

- इसके विलों को वापस लेने का दबाव।
- (iii) इसकी प्रक्रियाओं में विद्युत्गति - वे संरक्षणों में से कुछ पुनरावृत्ति में लिप्त पाये गये थे।
- (iv) स्वास्थ्य के क्षेत्र में इति - केतो, गिव इण्डिया, डोनेर कार्ट, इम्पेक्ट गुरु, SMILE फाउंडेशन आदि स्वास्थ्य में काउन्सिलिंग द्वारा गरीबों को सहायता कर रहे थे।
- (v) NIRAMAI हेल्थ एनालिटिक्स व Inn Accel महिला स्वास्थ्य पर विशेष बत दे रहे थे।
- (vi) ये CSO रोजगार प्रदान के लिए भी अपनी नवीन श्रमिका निभा रहे थे।
- (vii) इसकी गतिविधियों से सामाजिक न्याय व नीति निर्माण में सहयोग - NGO प्रथम - ASER Report, Help Age इण्डिया आदि।

3. CSO की कृषि की जाटिलता

(i) विकास कार्यों में बाधा - कुछ NGO

विकास को हाथी पहुँचाते हैं (IB Report - GDP
का 2-3% तक।

(ii) पर्यावरणीय मुद्दों के आधार पर 'इज ऑफ़ लिविंग'
को बाधित करते हैं।

(iii) विदेशी अनुदान को भारतीय रिज़र्व के विरुद्ध
प्रयोग किया जाता।

ध. एमनेस्टी इंटरनेशनल पर आरोप

(iv) ये घोसलों, अनुदान के धन का दुरुपयोग
भी करते हैं।

(v) इनमें से अधिकांश सरकार के प्रशासन की
कार्य प्रणाली के विशेषज्ञ हैं।

अतः एक जीवंत लिक्विड सोसायटी संगठन

डेमोक्रेसी का एक स्तंभ होता है जिसे कृषि का

CSO को निम्नानी चाहिए।

16. Though the Members of Parliament Local Area Development Scheme (MPLADS) aims to address the inequity in development in India, there are a number of issues which plague the scheme. Discuss. (250 words) 15
- हालांकि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) का उद्देश्य भारत में विकास में असमता से निपटना है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जो इस योजना को प्रभावित करते हैं। विवेचना कीजिए।

भारत में विकासगत असमानता को दूर

करने के लिए 1993 में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) लाई गई जिसमें वर्तमान स्वीकृत राशि 5 करोड़ प्रतिवर्ष है।

MPLADS: उद्देश्य

- (i) विकास में संतुलन लाना - भारत में कुछ क्षेत्रों यथा बिहार, झारखण्ड, ओडिशा में पिछड़ापन लम्बे समय से था लेकिन एक संसदीय निर्वाचन के भीतर ही विकासगत असमानता को दूर करने के लिए इतना धन दिया गया।
- (ii) अनुसूचित जाति व अनुजाति का कल्याण - MPLADS के तहत सांसदको 5% ST

के विकास के लिए कुल राशि का 25% स्वीकृत करने से शुरू हो

- (i) राज्यात्मक स्तर पर सुनिश्चित करने के लिए -
दिव्यांगों के लिए 5% राशि का प्रयोग।
- (ii) जिले के विशेष कस्बे का संकुलित विकास
सुनिश्चित करने के लिए।

लेकिन MP LADS से जुड़े जुड़े

(क) राशि का पूर्ण व्यय नहीं होता - संसदीय
समिति की रिपोर्ट - 50% MP भी राशि
का पूर्ण व्यय नहीं कर पाते।

(द) कार्यपालकीय विवाद - प्रशासन के
पाय स्वीकृति की शक्ति होती है तथा
प्रशासक व MP के मध्य विवाद।

(च) असमान व अप्रारंभिक व्यय - MP द्वारा
कुछ विशेष क्षेत्रों में आवश्यकता का

पक्षपाती विकास।

- (v) अधूरी अवसंरचना - समय पर पूरी शाही के अभाव में अधूरी अवसंरचनाएँ वर्षों तक पड़ी रहती हैं।
- (4) सांसदों की सक्रियता - सांसदों में सक्रियता का अभाव NAPLADS का महत्वपूर्ण उद्देश्य।

सुझाव व सुधार

- (i) NAPLADS को पुनर्जांचित कर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ढाँचा बनाया जाये।
- (ii) प्रशासन व MP/MLA की जवाबदेही तय हो।
- (iii) विकास कर्तव्यों की सैटेलाइट निगरानी हो।
- (iv) विकास के लिए व्यय का सोशल ऑडिटिंग।

अतः NAPLADS को प्रभावी बनाकर विकासगत अक्षमता को दूर कर साम्प्रदायिक समृद्ध भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।

17. Highlighting the factors responsible for the growth of EdTech sector in India in recent times, discuss its benefits. Also, state the concerns associated with it. (250 words) 15

हाल के दिनों में भारत में एडटेक क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी कारकों पर प्रकाश डालते हुए, इसके लाभों पर चर्चा कीजिए। साथ ही, इससे जुड़ी चिंताओं का भी उल्लेख कीजिए।

नीति आयोग के अनुसार भारत में कितने
तीन वर्षों में एडटेक क्षेत्र में 43-45% की
वृद्धि हुई है तथा यह सनराइज सेक्टर बन
चुका है।

क) भारत में एडटेक क्षेत्र के विकास के विपु-करण

(i) Covid-19 - कोविड से संक्रमण व
पारंपरिक क्लास प्रणाली का छूट जाना।

(ii) घटना डिजिटल डिवाइड - IAMAI की

'डिजिटल इन इण्डिया' रिपोर्ट के अनुसार भारत

में शहरी क्षेत्र में 97.5% व ग्रामीण क्षेत्र की
55% इंटरनेट तक पहुँच।

(iii) भारत में सस्ता डेटा - मरीमीकर संस्था

रिपोर्ट के अनुसार भारत में \$0.26/GB.

डेटा उपलब्ध है जबकि वैश्विक औद्योगिक
\$0.34/जॉब है

- (i) सूचना - संचार व सोशल मीडिया के माध्यम
से फुडटेक शिक्षा प्रणाली के बारे में जागरूकता।
- (ii) कम दूरी पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता।
- (iii) पढ़ने में सुविधा व अनलिमिटेड देखने की
सुविधा।

क) फुडटेक क्षेत्र के लाभ

- a. - शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन होगा।
- b. डिजिटल डिवाइड व इल्लिटरसी में
कमी होगी।
- c. गुणवत्तायुक्त सस्ती शिक्षा की उपलब्धता
से लर्निंग पावर्टी कम होगी।
- d. SDG-4 - सतत विकास को बढ़ावा।
- e. भारत की शिक्षा प्रणाली में ऑडियो-
विजुअल प्रणाली का समावेश होगा।

एडटेक क्षेत्रक चुनौतियाँ

- (क) बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास
प्रभावित - स्क्रीन टाइम ↑ - UNESCO Report।
- (ख) शाइबर अटैक, शाइबर जाइसी का खतरा
- (ग) एडटेक में फ्रॉड - प्रैश भ्रुगतान के बावजूद पर्याप्त रिस्पॉंस नहीं मिल पाता।
- (घ) गोपनीयता, व्यक्तिगतता, डेटा सुरक्षा की चुनौतियाँ।
- (ङ) बच्चों में स्कूली व बलाशरुम शिक्षा के लाभ नहीं मिल पाते हैं जिससे अकेलापन आता है।
- (च) बच्चों की आँखों का कमजोर होना, चिड़चिड़ापन आदि।

अतः विनिश्चित एडटेक क्षेत्र शिक्षा में क्रांति ला सकता है इसीलिए NEP 2020 के अनुसार इस प्रणाली को अनुमुख बनाया जाये।

18. Bring out the role of Accredited Social Health Activist (ASHA) workers in delivering health services in rural India. Also, suggest the measures that can be taken to overcome the challenges faced by them. (250 words) 15

ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही, उनके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को दूर करने के उपाय भी सुझाइए।

भारत की 68% आबादी ग्रामीण

क्षेत्रों में निवास करती है जबकि भाव 31.4%
सरकारी प्रस्पताल ग्रामीण क्षेत्रों में है वहीं भाव
12.5% चिकित्सक सरकारी सेवा में है।

इसी परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा
प्रदान करने में आशा वर्कर्स की भूमिका -

(i) ये सार्वजनिक स्वास्थ्य को समूह करने

में भूमिका -

a. कुपोषण को खत्म करने में - अन्नी विश्व

के 38.4% कुपोषित बच्चे भारत में

b. एनीमिया - NFHS-V - 57% बच्चे व

68% महिलाएँ एनीमिया पीड़ित।

(ii) ये 'पोषण योजना' के रूप में सामुदायिक व

प्राथमिक तथा उपप्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों
पर घोषण शिक्षा को प्रमोट कर सकती हैं।

(iii) महिला स्वास्थ्य & अच्छा बच्चा सर्वे -

भारत में महिला स्वास्थ्य सुधार में आशा
कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

a. सेनितरी नेपकिन (pads) संबंधी

जागरूकता।

b. प्रसवकाल संबंधी स्वास्थ्य के

c. संस्थान प्रसव करने में।

(iv) सरकारी स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं & संबंधी

जागरूकता - PM- मातृ वंदना, PM- माहत्व,

व शिशु कल्याण योजना - लाभार्थी महिलाओं

को राशि उपलब्ध करने में।

(v) ये स्वास्थ्य सेवा संबंधी घर-घर सर्वे,

आंगनवाड़ी में घोषणान को बढ़ाकर

'ग्रामीण स्वास्थ्य प्रोकाइल' को अपडेट कर

करती हैं।

→ आशा कार्यकर्तियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियाँ -

- (i) इन्हें पर्याप्त वेतन नहीं मिलता
- (ii) पर्याप्त चिकित्सकीय आवश्यकताओं के अभाव में CMCs, PHCs पर इच्छी दक्षता सीमित है
- (iii) सामाजिक चेतना विकास, जागरूकता, पोलियो दवाई वितरण में ग्रामीणों के सहयोग नहीं मिलता।
- (iv) इनके पास सुदृढ़ प्रशिक्षण के अभाव होता है।


अतः आशा कार्यकर्ता को सुरक्षित कवचकित जरीबी, कुपोषण, एनीमिया, माह मल्टिपल, शिशु मल्टिपल से लड़कर SDG-1, 2, 3 के पाठ्य कर रचना है।

19. Discuss the various concerns that have arisen for India after the Taliban takeover of Afghanistan. Also, suggest the measures that India should take in the given context. (250 words) 15

तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर अधिकार करने के बाद भारत के लिए उत्पन्न विभिन्न चिंताओं की विवेचना कीजिए। साथ ही, उन उपायों का सुझाव दीजिए जो इस संदर्भ में भारत द्वारा अपनाए जाने चाहिए।

भारत की 'पड़ोस प्रथम' नीति के तहत पड़ोसी देश ~~की~~ अफगानिस्तान में August 2021 से तालिबान का शासन संचालित हो

तालिबानी शासन व भारत के लिए चिंताएँ



- ① राष्ट्रीय सुरक्षा - भारत के समूह-कश्मीर में शान्तकवाह के प्रमोट किया जा सकता है
- ② तालिबानी दख्तानी नेटवर्क व पाक ISI के मध्य संबंधों का प्रभाव भारतीय सुरक्षा योजना पर पड़ेगा।
- ③ भारत में अलगाववाद, चरमपंथ व संप्र-पाकिता को प्रमोट करे और अस्थिरता का प्रयास

किया जा सकता है

Golden
Crescent



② नाफा आतंक्वाद

भारत के पश्चिम में गोल्डन क्रिसेंट की उपस्थिति

① हाल ही में अफगानिस्तान से गुजरात तट पर 30000 kg हीरोइन बरतत।

② भारत के पंजाब व उत्तर में ड्रग्स अफीम की आपूर्ति व आतंक्वाद की वित्तपोषण।

③ भारतीय निवेश की सुरक्षा

① भारत के \$4 bn का निवेश किया है

- आरांजडेलशम राजमार्ग, गार्लेण्ड राजमार्ग

- सलमा बांध, संरक्षक काबुल मेट्रोपॉलिटन

- शहदूत बांध, स्कूल, अस्पताल

② भारत का इरान में चाबहार बंदरगाह व

चाबहार नो ओहदान राजमार्ग

③ INSTC कोरिडोर की सुरक्षा

④ आतंक्वाद की समस्या - UN की हालिया रिपोर्ट

अफगानिस्तान में अंश-९-मोहम्मद, लश्कर-९-तयबा व इस्लामिक स्टेट तथा अलकायदा की उपस्थिति।

भारत के लिए उपाय

- (i) भारत शांति प्रयासों से अफगान तालिबान के साथ राष्ट्रीय हितों के आधार पर वार्ता करें।
 - (ii) अफगान जनता को पर्याप्त सहायता, दालिया जेई व आवश्यक वस्तु का निर्यात।
 - (iii) भारत इरान के अद्योग से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की रक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करें।
 - (iv) कसब के साथ अद्योग का तालिबान के साथ वार्ता करें।
 - (v) भारत तालिबान के साथ आतंकवाद को न प्रमोट करने की शर्तों पर ही संबंध स्थापित करें।
- कतः स्थानीय शांति, सुरक्षा, विकास के लिए भारत को शांति स्थापना के प्रयास करें चाहिए।

20. Bangladesh is not only a key part of India's "Neighbourhood First policy" but also crucial for the "Act East policy". In this context, discuss the steps taken by the two countries to strengthen their relationship.

(250 words) 15

बांग्लादेश न केवल भारत की "नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी" का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में, दोनों देशों द्वारा अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए।

भारत व बांग्लादेश दक्षिण एशिया में एक

दूसरे के साथ सबसे लम्बी सीमा साझा (4096km) करते हैं तथा भारत का बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।

भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' तथा 'एक्ट ईस्ट नीति'

के तहत भारत - बांग्लादेश संबंधों को मजबूत करने के लिए -

① आर्थिक स्तर पर -

- द्विपक्षीय व्यापार, 2009 में मात्र 2.7 bn अमेरिकी डॉलर

2021 - \$11bn

द्विपक्षीय निवेश, भारत ने बांग्लादेश में

\$8 bn निवेश किया तथा 100 से अधिक

भारतीय कंपनियाँ बांग्लादेश में कार्यरत।

② अपसरचनात्मक स्तर।

- भारत ने रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में निवेश किया
- बांग्लादेश भारत से 1200 MW ऊर्जा खरीदता है।
- फेनी नदी पर मैत्री सेतु
- हल्दीबाड़ी से चिल्लाथी रेलवे लिंक प्रोजेक्ट
- अर्धारा इजरायला रेलवे प्रारंभ

③ पीपल-पीपल संबंध

- इसके लिए 2015 में लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट किया - ~~100~~ 100 संविधान संशोधन अधिनियम 2015
- भारत बांग्लादेश के वस्त्र क्षेत्र को भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति देता है।

④ आतंकवाद के उपद्रव

- शेख हसीना के अत्याचार के कारण भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति व्यवस्था को अंग कटने

वाले विद्वोधी गुटों को इबाधा गया।

⑥ जलवायु परिवर्तन - इसके लिए दोनों देश
मिलकर कार्य कर रहे हैं।

हालांकि कई चुनौतियों का समाधान भी
आवश्यक है -

- (i) नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) व
प्रवासी लोगों का मुद्दा।
- (ii) जल विवाद - तीस्ता नदी, लिपईमुख बांध
व करमका बेराज विवाद।
- (iii) चीन का बढ़ता प्रभुत्व - चूटगॉव पोर्ट पर
- (iv) धार्मिक अयलक्षितता का अपमती चिंगारी

अतः पड़ोसी प्रथम व 'एस्ट ईस्ट पॉलिसी' के
तहत भारत व बांग्लादेश के क्षेत्रीय संबंधों को
प्रगाढ़ करने के लिए विद्यमान मुद्दों का समाधान
आगामी प्रधानमंत्रियों के बैठक (Sept-2022) में किया
जाना चाहिए।